



## बिहार स्टेट फूड एण्ड सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लि०,

“खाद्य भवन”, दारोगा प्रसाद राय पथ, आर० ब्लॉक, रोड नं०-२, पटना-८००००१

### कार्यालय आदेश

निगम के पत्रांक ७१३८ दिनांक ३.९.२० द्वारा बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम के अन्तर्गत विभिन्न पदों पर संविदा पर नियोजन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन किया गया था। उक्त विज्ञापन के आलोक में विभिन्न पदों के विरुद्ध प्राप्त आवेदनों पर स्थायी स्थापना समिति की अनुशंसा के आलोक में निगम ज्ञापांक ७६१४ दिनांक २२.०९.२०१९ द्वारा ७७ सहायक प्रबंधकों को विभिन्न गोदामों पर पदस्थापित किया गया था। कुछ सहायक प्रबंधकों द्वारा पदस्थापित स्थान पर योगदान समर्पित नहीं किये जाने के कारण उनका दावा समाप्त करते हुए प्रतिक्षा सूची के कॉलम २ में अंकित अभ्यर्थियों का औपबंधिक रूप से संविदा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम ७ में अंकित पद हेतु पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए नियोजित करते हुए अगले आदेश तक कॉलम ८ में अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों को निर्देश है कि वे पी०पी०ओ०/अंतिम वेतन प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र के साथ अविलम्ब पदस्थापित स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे। पूर्व में प्रस्तुत कागजातों में भिन्नता/त्रुटि पाये जाने एवं सेवा निवृति विभाग से प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियोजन रद्द कर दिया जायेगा। नवपदस्थापन स्थान पर योगदान की तिथि से मानदेय आदि देय होगा।

क्र०	नाम	गृह जिला	सेवानिवृति का कार्यालय	सेवानिवृति का पद	कोटि	पद नाम जिसके विरुद्ध चयन किया गया है।	पदस्थापित स्थान
१	२	३	४	५	६	७	८
१	श्री चन्द्र बली मिश्रा	भद्रोई उत्तर प्रदेश	बिहार स्टेट मिल्क फैडेरेशन, पटना	सहायक प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, चारपोखरी, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर
२	श्री मदन मोहन तिवारी	रोहतास	विस्कोमान, पटना	सहायक भंडार प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, कोच, राज्य खाद्य निगम, गया
३	श्री महेश्वर प्रसाद सिंह	गोपालगंज	कृषक सेवा केन्द्र विस्कोमान मढ़ौरा सारण	सहायक भंडार प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, पानापुर, राज्य खाद्य निगम, सारण
४	श्री विनोद कुमार सिंह	पटना	झारखण्ड जग्नुआर एस०टी०एफ० रौची	पुलिस अवर निरीक्षक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, एकंगरसराय, राज्य खाद्य निगम, नालन्दा
५	श्री विपिन बिहारी सिंह	सारण	बिस्कोमान, पटना	सहायक भंडार प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, पिरो, राज्य खाद्य निगम, भोजपुर
६	श्री शशि शंकर शर्मा	पटना	अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, पटना (योजना एवं विकास विभाग)	प्रखण्ड सांख्यिकी पर्यवेक्षक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, साहेबपुर कमाल, राज्य खाद्य निगम, बेगुसराय
७	श्री अशोक कुमार सिंह	बांका	पुलिस अवर निरीक्षक एस०टी०एफ०, बिहार, पटना	पुलिस अवर निरीक्षक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, धरहरा, राज्य खाद्य निगम, मुगेर
८	श्री हरिशंकर सिंह	आरा	भूमि विकास बैंक, मुजफ्फरपुर, बिहार	शाखा प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, अरवल, राज्य खाद्य निगम, अरवल एवं अतिरिक्त प्रभार, करपी
९	श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव	मुजफ्फरपुर	शिक्षा विभाग, मनहार, वैशाली	प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, रक्षील, राज्य खाद्य निगम, भोतिहारी
१०	श्रीमती मीना सिन्हा	मुजफ्फरपुर	ग्रामीण विकास विभाग	प्रखण्ड प्रसार पदाधिकारी	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, पतनघाट, राज्य खाद्य निगम, सहरसा
११	श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव	छपरा	बैंक ऑफ इंडिया	अधिकारी	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, बिक्रम, राज्य खाद्य निगम, पटना
१२	श्री कृष्ण कुमार सिंह	पटना	बिहार पुलिस, पटना	पुलिस अवर निरीक्षक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, बाजार समिति, राज्य खाद्य निगम, बक्सर
१३	श्री राम विनोद कुमार सिंह	गया	भूमि विकास बैंक, भोजपुर	प्रभारी शाखा प्रबंधक	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, मदनपुर, राज्य खाद्य निगम, औरंगाबाद

२५/०८/२०२०

✓

14	श्री श्याम सुन्दर साह	मधेपुरा	खाद्य एवं आपूर्ति विभाग / प्रखण्ड आपूर्ति कार्यालय, सबौर, भागलपुर	प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी	सामान्य	सहायक प्रबंधक	टी०पी०डी०एस० गोदाम, सौर बाजार, राज्य खाद्य निगम, सहरसा
----	-----------------------	---------	---	---------------------------	---------	---------------	--

शर्त :-

- (i). अभ्यर्थियों की तत्काल औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ नियोजित की जाती है कि उनके द्वारा समर्पित प्रमाण पत्रों की सम्पूर्णता के क्रम में अथवा सेवा निवृत्त कार्यालय से कोई प्रतिकुल प्रतिवेदन प्राप्त होता है एवं कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित अभ्यर्थी का नियोजन तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकेगी एवं उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई भी की जा सकेगी।
- (ii). सभी अभ्यर्थियों को यह निदेश दिया जाता है कि अविलम्ब नवपदस्थापित स्थान पर अपना योगदान समर्पित करेंगे। इसके लिए किसी प्रकार का भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- (iii). नियोक्ता एवं अनुबंध के आधार पर नियोजित किये जाने वाले व्यक्ति के बीच विहित प्रपत्र में ननजुड़िसिएल स्टाम्प पेपर पर एकरारनामा किया जाना आवश्यक होगा।
- (iv). सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक 10000 दिनांक 10.07.2015 के अनुरूप मानदेय का भुगतान किया जायेगा।
- (v). उल्लिखित पद पर संविदा/अनुबंध के आधार पर नियोजन प्रथम चरण में पत्र निर्गत की तिथि से एक वर्ष के लिए होगी तथा आवश्यकतानुसार अवधि विस्तार किया जायेगा। कार्यकलाप संतोषप्रद नहीं रहने अथवा क्षति/गबन पाये जाने पर इन्हें बगैर कोई सूचना के कार्य मुक्त कर दिया जायेगा।
- (vi). अनुबंध के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा मान्य नहीं होगा।
- (vii). संविदा आधारित यह नियोजन बिल्कुल अस्थायी एवं औपबंधिक होगा। जैसे ही रिक्ति के विरुद्ध नियमित नियुक्ति(यथा सीधी नियुक्ति/प्रोन्नति के उपरान्त नियुक्ति) के उपरान्त पदस्थापन होते ही संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- (viii). इनके द्वारा भविष्य में की गयी क्षति/गबन की राशि की वसूली उनके मानदेय से की जायेगी एवं मानदेय से वसूली संभव नहीं होने की स्थिति में बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत क्षति/गबन की वसूली उनके चल-अचल संपत्ति से की जायेगी।
- (ix). अनुबंध की समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति पुनर्नियोजित नहीं होता है तो वैसी स्थिति में निर्धारित तिथि को उसका अनुबंध स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए किसी आदेश का निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।
- (x). इनके द्वारा संविदा पर निगम की सेवा छोड़ने के पूर्व निगम को एक माह का अग्रिम सूचना दिया जाना अनिवार्य होगा। नोटिस नहीं दिये जाने की स्थिति में उन्हें एक माह का मानदेय एक मुश्त भुगतान करना होगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में वह राशि बिहार एवं उड़ीसा लोक मांग वसूली अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अधीन या निगम के प्रावधानों के तहत वसूलनीय होगी।

आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

₹0/-

मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति।

ज्ञापांक:-3:02:329:01:2019 १७८६

दिनांक:- २४/१२/२०

प्रतिलिपि:- सभी संबंधित सहायक प्रबंधक (संविदा) को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक/उप महाप्रबंधक/गोपनीय शाखा/विपत्र लिपिक निगम मुख्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- अपर सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर/कन्ट्रोल रूम प्रभारी को निगम के वेवसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

24/१२/२०

मुख्य महाप्रबंधक, अधिप्राप्ति।

१७८६